समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, जे जे.

ओ. पी. खरब, – ***याचिकाकर्ता***

बनाम

एचवीपीएन लि. तथा ***अन्य, - उत्तरदाताओं***

सिविल रिट याचिका संख्या 300 सन्न ***2005***

30 अक्टूबर, 2006

भारत का संविधान, 1950- अनुचेध 226 – पंजाब सिविल सेवा नियम, वॉल्यूम. II – आर.आई.2.2 (b) – हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1987 – आर.आई. *7 – हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड विनियम, 1990 रजि. 7–एक कार्यकारी अभियंता को अपनी सेवानिवृति के 6 वर्ष से अधिक समय के बाद आरोप पत्र जारी किया गया-आर.आई. 2.2 (b) प्रदान करता है कि यदि घटना उसकी सेवानिवृत्ति के चार साल से अधिक पुरानी हो तो कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है - याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र में जिस घटना से संबंधित आरोप लगाए गए हैं वे सेवानिवृत्ति से चार साल से अधिक समय पहले की घटना थी– याचिका को अनुमति दी गई, आरोप पत्र और याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमित विभागीय जांच कराने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश को खरीच किया गया।*

निर्णय, पंजाब सिविल सेवा के खंड II के नियम 2.2 (बी) के अवलोकन, से पता चलता है कि यदि कोई पेंशनभोगी किसी विभाग या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है या उसने सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया होता है, तो उत्तरदाता सरकार को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक राशि पेंशन से वसूलने का आदेश दिया जा सकता है बशर्ते यह जांच उस अवधि के दौरान शुरू की गयी थी जब वह अधिकारी सेवा में था। हालाँकि, यदि ऐसी कोई जाँच अधिकारी के ड्यूटी पर रहने के दौरान और

उसकी सेवानिवृत्ति से पहले शुरू नहीं की गई है, तो यह उस घटना के संबंध में शुरू नहीं की जा सकती है जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक समय पहले हुई थी। दूसरे शब्दों में, जांच केवल उस घटना के संबंध में स्थापित की जा सकती जो संस्था की तारीख से चार साल पहले हुई थी। नियम 2.2 (बी) (4) में संलग्न स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि विभागीय कार्यवाही को तब स्थापित माना जाता है जब उस पर आरोप तय किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, विभागीय कार्यवाही शुरू करने की तारीख वह तारीख होगी जब याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया गया।"

(पैरा 7)

जेके गोएल, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए.*

नामित कुमार, अधिवक्ता, *उत्तरदाताओं के लिए.*

निर्णय

एम.एम. कुमार, माननीय न्यायाधीश

(1) याचिकाकर्ता, जो एक सेवानिवृत है, द्वारा की गई प्रार्थना यह है कि आरोप पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (अनुलग्नक पी -1), आदेश दिनांक 21 जुलाई, 2004 (अनुलग्नक पी -3) जिस में उनकी पेंशन की दस प्रतिशत कटौती की गई और नियमित विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करने वाले पत्र दिनांक 9 नवंबर, 2004 (अनुलग्नक पी -4) को खारिज कर दिया जाए। यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता की पेंशन पर 10 प्रतिशत की कटौती करने वाला आदेश दिनांक 21 जुलाई, 2004 (अनुलग्नक पी -3) बिना जांच के पारित किया गया था और उसी को याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जांच करने के उत्तरदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 3 अगस्त, 2005 (अनुलग्नक पी -1) को वापिस ले लिया गया। इसलिए दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (अनुलग्नक पी -

1) के आदेश और दिनांक 9 नवंबर, 2004 (अनुलग्नक पी -4) के आदेश की वैधता हमारे विचार के लिए जीवित है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को तत्कालीन हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था जो बाद में विभिन्न निगमों में अलग हो गया। याचिकाकर्ता को एचवीपीएन को आवंटित किया गया था। वह 30 जून, 1997 को सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर प्रतिवादी नंबर 2 के कार्यालय से सहायक कार्यकारी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसकी सेवानिवृत्ति के छह साल से अधिक समय के बाद, अधीक्षण अभियंता प्रतिवादी नंबर 2 ने उन्हे हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड विनियमन, १९९० के विनियम 7 के साथ पठित हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किया। आरोपों के सारांश में याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित चूक और कमीशन के कार्य कथित होने का आरोप लगाया गया है:

"1. कि आपने मई, 1994 से जुलाई, 1994 की अवधि के दौरान टीएल संख्या 98 से 107 की उप-सेटिंग का उचित निरीक्षण नहीं किया।

2. यह की आपने पाइल्स में बल्बों की जानकारी तथा पाइल्स की उचित लंबाई और ढलाई की जानकारी का भी उचित पार्यवेक्षण नहीं किया।

3. कि आपने टीएल क्रमांक 98 से 107 तक के ठोस नियंत्रण रजिस्टर को ठीक से नहीं भरा और खाली छोड़ दिया।

4. यह कि आपकी ओर से ऊपर की लापरवाही के कारण निगम को लगभग 50 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

श्री ओ पी खरब की ओर से की गई चूक और कमीशन के उपरोक्त कार्य आपकी ओर से एक गंभीर कदाचार का गठन करते है और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।"

(3) याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आरोपों पर अपना जवाब 13 नवंबर, 2003 (अनुलग्नक पी -2) को यह कहते हुए भेझा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 2.2 (बी) के तहत यदि कोई घटना चार साल से अधिक पुरानी है, तो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोप पत्र में आरोप 30 मई, 1998 से पहले की अवधि से संबंधित है और इसलिए उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। उनके उत्तर पर विचार किया गया था लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता को डिजाइन और गुणवत्ता के अनुसार काम सुनिश्चित करना था लेकिन वह बुनियादी ढांचे का उचित निरीक्षण करने में विफल रहा। आगे यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह ढेरों में बल्बों के निर्माण और उचित लंबाई और ढलाई की ठीक से निगरानी करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के कारण टावरों की विफलता रही। आगे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकारी ने अपनी लापरवाही से निगम को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनकी पेंशन में 10 फीसदी की कटौती की गई है।

(4) उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 जुलाई, 2004 (अनुलग्नक पी -3) बिना किसी जांच या किसी जांच अधिकारी को नियुक्ति किए बिना पारित किया गया था। 9 नवंबर, 2004 को, प्रतिवादी अधिकारियों ने श्री एस.एस. गखर को एक और पत्र जारी कर, मुख्य अभियंता, एचवीपीएन के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के रूप में जांच अधिकारी संबंध में 30 अक्टूबर, 2003 के आरोप पत्र में नियमित विभागीय जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया। 6 दिसंबर, 2004 (अनुलग्नक

पी -5), को याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से एक कानूनी नोटिस दिया. जब मामला 5 दिसंबर, 2005 को विचार के लिए आया तो हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया जो यह निर्देश देता है की जांच की कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(5) लिखित बयान में, उत्तरदाताओं द्वारा यह लिया गया है कि याचिकाकार्ता की पेंशन पर 10 प्रतिशत की कटोती लगाने वाले 21 जुलाई, 2004 के आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है क्योंकि आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी विभागीय जांच के पारित किया गया था। यह इस कारण से है कि 9 नवंबर को, 2004 (अनुलग्नक पी -4) एक नियमित विभागीय जांच कराने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिका समय से पहले थी और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता थी कि क्या याचिकाकर्ता को निर्वासित किया जाएगा या दोषी पाए जाने की संभावना थी। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II, (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) के नियम 2.2 (बी) में निहित प्रावधान के संबंध में, उत्तरदाताओं का रुख यह है कि वे पेंशन या उसके किसी हिस्से को रोकने या वापस लेने के हकदार हैं उस घटना के संबंध में जो कार्यवाही शुरू होने की तारीख के चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी। इस प्रकार इसमें कोई विवाद नहीं है कि कार्यवाही केवल उस घटना के संबंध में शुरू की जा सकती है जो कार्यवाही शुरू होने की तारीख के पहले चार साल के भीतर हुआ हो। हालांकि दावा यह किया गया है कि 1 जून, 2000 को निसांग-केथल लाइन के दस टावर नीचे गिर गए थे। याचिकाकर्ता की सेवानिवृति पर 21 जुलाई, 2000 को समिति द्वारा एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और 30 अक्टूबर, 2003 को आरोप पत्र जारी किया गया जो समय के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।

(6) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने, रिट याचिका के साथ-साथ उत्तरदाताओं के रुख को देखने के बाद हमारा यह विचार है कि यह याचिका सफल होने के योग्य है। यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता 30 जून, 1997 को सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र ऐसी घटना के संबंध में जारी किया जा सकता था जो कार्यवाही शुरू होने से 4 साल पहले हुई हो। उपर्युक्त कानूनी स्थिति पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II (जो हरियाणा राज्य पर लागू है) के नियम 2.2 (बी) को पढ़ने से स्पष्ट होगी, और इसे नियमानुसार पढ़ा जाएगा:

> "2.2 (बी): सरकार किसी पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है और सरकार को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक राशि पेंशन से वसूलने का आदेश देने का अधिकार रखती है, यदि पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा सहित उसकी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक हानि हुई हो।
>
> बशर्ते कि –
>
> 1) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अधिकारी सेवा में रहते हुए शुरू की गई थी, चाहे उसकी सेवानिवृति से पहले, या उसके पुनः रोजगार के दौरान, अधिकारी की अंतिम सेवानिवृति के बाद, वह इस नियम के तहत कार्यवाई मानी जाएगी और जारी राखी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया जिसके द्वारा इसे उसी तरीके से शुरू किया गया था जैसे कि अधिकारी ने सेवा जारी रखी हो;

2) अधिकारी सेवानिवृत्ति से पहले या अपने पुन: रोजगार के दौरान ड्यूटी पर था;

   (i) सरकार की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा;

   (ii) किसी भी ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाई शुरू होने से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी; तथा

   (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में आयोजित किया जाएगा जैसा कि सरकार निर्देशित कर सकती है और विभगीय कार्यवाई पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जिसमें सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है:

3) ऐसी न्यायिक कार्यवाही, यदि अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुनर्नियोजन के समय ड्यूटी के दौरान शुरू नहीं की गई थी, तो प्रावधान (2) के खंड (ii) में उल्लिखित घटना के संबंध में शुरू की जाएगी; तथा

4) अंतिम आदेश पारित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण। –इस नियम के उद्देश्य के लिए:

(1) विभागीय कार्यवाही तब शुरू की गई मानी जाएगी जब पेंशनभोगी के खिलाफ लगाए गए आरोप उसे जारी किये जाएंगे या यदि अधिकारी को किसी पूर्ववर्ती तिथि से नीचे रखा गया है, ऐसी तिथि पर निलंबन; तथा

(2) न्यायिक कार्यवाही की स्थापना को माना जाएगा कि:

(i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख पर जो शिकायत की जाती है या एक आपराधिक अदालत में चालान प्रस्तुत किया जाता है; तथा

(ii) सिविल कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को वादी प्रस्तुत किया जाता है या, जैसा भी मामला हो, एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

(7) उपर्युक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि यदि कोई पेंशनभोगी न्यायिक कार्यवाही विभाग में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उत्तरदाता सरकार को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक राशि को पेंशन से वसूलने का आदेश दे सकते हैं, और यदि उसने अपनी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई हो, बशर्ते की ऐसी जांच उस अवधि के दौरान शुरू की गई हो जब अधिकारी ड्यूटी पर था। हालाँकि, अगर इस तरह की जाँच अधिकारी के ड्यूटी पर रहने के दौरान और उसकी सेवानिवृत्ति से पहले शुरू नहीं की गई है तो यह उस घटना के संबंध में शुरू नहीं की जा सकती है जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से पहले चार साल से अधिक समय से पहले हुई थी। दूसरे शब्दों में, जांच केवल उस घटना के संबंध में शुरू की जा सकती है जो संस्था की तारीख से चार साल पहले हुई हो। नियम 2.2 (बी) (4) में संलग्न स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि विभागीय कार्यवाही तब शुरू की गयी मानी जाएगी जब उसके खिलाफ आरोप तेय किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, विभागीय कार्यवाही शुरू होने की तारीख वह तारीख होगी जब याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया जाएगा।

(8) नियम 2.2 (बी) में निर्धारित उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकालाना होगा कि आरोप पत्र में जारी किए गए आरोप 4 साल कि अवधि से ज़्यादा पुराने हैं। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को मई,1994 से जुलाई, 1994 या अधिकतम वर्ष 1998 तक की घटनाओं के संबंध में 30 नवंबर, 2003 को आरोप पत्र

जारी किया गया था। आरोप पत्र जारी होने की तिथि पर सभी आरोप उस घटना के संबंध में थे जो चार साल से अधिक समय पहले हुई थी। नियम 2.2 (बी) (4) की व्याख्या में अपनाया गया सिद्धांत एक संपूर्ण सिद्धांत है जिसे न्यायिक उदाहरणों का समर्थन प्राप्त है। **यूनियन ऑफ इंडिया *बनाम* केवी जानकीरामन**[1] के मामले में उपयुक्त सिद्धान्त को माननीय सर्वोचय न्यायलाय ने पदोन्नति के एक मामले में यह कहा कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति को केवल इस वजह से स्थगित नहीं किया जा सकता है की उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही रुकी हुई है जब तक की उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं हो जाता। तदनुसार, 30 अक्टूबर, 2003 को जारी किया हुआ आरोप पत्र (अनुलग्नक पी -1) और 9 नवंबर, 2004 को जांच अधिकारी की नियुक्ति (अनुलग्नक पी -4) रद्द किए जाने के योग्य है।

(9) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (अनुलग्नक पी -1) जिसमें याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया गया और आदेश दिनांक 9 नवंबर, 2004 (अनुलग्नक पी -4) में याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की परिणामी कार्यवाई के साथ नियमित विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति को एतदद्वारा बर्खास्त किया जाता है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका

[1] (1991) 4 S.C.C. 109

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा